



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 202 राँची, बुधवार, 9 वैशाख, 1948 (श०)
29 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

13 अप्रैल, 2026

संख्या:-8/न्यायालय-02/2021 का० 2181--झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन सहायक, गृह विभाग सम्प्रतिअवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध आदेश की अवहेलना, अनुमोदित प्रारूप में अन्तर्वेशन एवं संचिका में गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव उपस्थापित करने सम्बन्धी गृह विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रतिवेदित आरोप के लिए बिहार एवं उड़ीसा अवर सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1935 के प्रावधानान्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित कर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-170 दिनांक-10.07.2012 द्वारा निम्न शास्ति अधिरोपित की गयी है :-

- निन्दन;
- तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

2. उपर्युक्त अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध श्री कुमार द्वारा अपील अभ्यावेदन दिनांक-29.12.2012 समर्पित किया गया। श्री कुमार के अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए अपीलीय प्राधिकार द्वारा आदेश दिनांक-13.05.2013 पारित किया गया।

3. श्री कुमार द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-170 दिनांक-10.07.2012 द्वारा अधिरोपित शास्ति एवं अपीलीय प्राधिकार द्वारा पारित आदेश दिनांक-13.05.2013 के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या-WP(S) No.- 5559/2014- अखिलेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक-22.10.2018 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"The short legal plea raised by the petitioner and taken note above, evidently stands substantiated on account of specific statements made by respondent no.-5. Non furnishing of inquiry report and second show cause notice has vitiated the departmental proceeding from that stage. Non service of report has also caused prejudice to the petitioner as he was not in a position to offer his reply to the proposed punishment though a major penalty has been imposed upon him. Therefore, on this ground alone impugned order dated 10th July, 2012 (Annexure-10) and appellate order dated 13th May, 2013 (Annexure-12) cannot be sustained in the eye of law. They are accordingly quashed. This Court has, however, not made any comments on the merits of the finding arrived at in the departmental enquiry. The disciplinary authority shall proceed from the stage of second show cause notice and take a final decision in the matter within a period of 12 weeks from the date of receipt of a copy of this order. The Disciplinary Authority shall furnish a copy of the enquiry report along with the second show cause to enable the petitioner to offer his reply thereupon. Petitioner shall cooperate in the matter. In case, he fails to cooperate, the Disciplinary Authority shall proceed to take a decision in the matter within the aforesaid period."

4. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में विभागीय पत्रांक-8490 दिनांक-22.11.2018 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री कुमार, तदेन प्रशाखा पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारणपृच्छा की गयी। श्री कुमार द्वारा समर्पित

द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर पर कार्रवाई के दौरान मुख्य सचिवसह-अपीलीय प्राधिकार द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से पुनः द्वितीय कारण पृच्छा का निदेश दिया गया। उक्त निदेश के आलोक में विभागीय पत्रांक-1205 दिनांक-25.02.2021 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए नये सिरे से श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का जवाब अपने अभ्यावेदन दिनांक 12.03.2021 द्वारा इस विभाग में समर्पित किया गया।

5. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के उत्तर पर विभागीय पत्रांक 3886 दिनांक 20.05.2019 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा प्रशासी विभाग (गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में गृह विभागीय पत्रांक 3899 दिनांक-18.07.2019 द्वारा वांछित मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

6. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उनसे की गयी द्वितीय कारणपृच्छा, उक्त द्वितीय कारणपृच्छा पर उनके द्वारा समर्पित उत्तर एवं प्रशासी विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या-3245 दिनांक-16.07.2021 द्वारा निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया गया है:-

- i) निन्दन की सजा।
- ii) तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक।

7. श्री अखिलेश कुमार द्वारा उपर्युक्त शास्ति अधिरोपन आदेश को निरस्त किये जाने के साथ ही पूरे विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने हेतु माननीय न्यायालय में पुनः वाद संख्या WP(S) No.-3340/2021- अखिलेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-01.08.2024 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया है :-

"..... 12. Having regard to the aforesaid discussions, the enquiry report itself deserves to be, and, is hereby, quashed and set aside. Further, the disciplinary authority without application of mind has completely relied upon the enquiry report and passed the order of punishment; as such since this Court has already held that the enquiry report is not sustainable and is against the settled proposition of service jurisprudence and the law laid down by the Hon'ble Apex Court in several cases including the cases referred to hereinabove; the order of punishment is not sustainable in the eye of law; accordingly, the same is also quashed and set-aside.

It goes without saying that since the order of punishment is quashed and set aside, entire consequential benefits shall be extended to the petitioner as early as possible, but not beyond

twelve weeks from the date of receipt/production of copy of this order.

13. As a result, the instant writ application stands allowed in the manner indicated hereinabove."

8. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No. 127/2025- झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अखिलेश कुमार दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई प्रक्रियाधीन है।

9. श्री कुमार द्वारा WP(S) No. 3340/2021 के अनुपालन हेतु माननीय न्यायालय में अवमाननावाद संख्या Cont (C) No. 45/2025- अखिलेश कुमार बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है, जिसमें विभाग की ओर से कारणपृच्छा दायर है। अवमाननावाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-20.03.2026 को सुनवाई के दौरान अंतिम अवसर प्रदान करते हुए WP(S) No.-3340/2021 में दिनांक-01.08.2024 को पारित आदेश के अनुपालन का आदेश दिया गया है।

10. अतएव समीक्षोपरांत माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा WP(S) No.-3340/2021 एवं Cont(C) No. 45/2025 में पारित आदेश के अनुपालन में, श्री अखिलेश कुमार, तत्कालीन सहायक, गृह विभाग, झारखण्ड, राँची सम्प्रति-अवर सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या-3245 दिनांक-16.07.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड आदेश को निरस्त किया जाता है।

दण्ड विलोपन के फलस्वरूप श्री कुमार को सभी देय लाभ प्राप्त होंगे।

11. यह आदेश विभाग की ओर से दायर LPA No. 127/2025- झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम अखिलेश कुमार में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

12. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव।
